बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या–05/न0वि0(गठन)–05/2017 5493 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा–3 सह पठित धारा–4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नगर परिषद, बिरौल के सृजन के लिए निम्नलिखित आदेश का प्रारूप निर्गत करना चाहते हैं, जिसे उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की जानकारी एवं आपत्ति/सुझाव, यदि कोई, दाखिल करने हेतु इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के बाद उक्त प्रारूप पर विचार किया जायेगा।

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम की धारा–5 के अधीन विचार किया जायेगा।

प्रारूप आदेश

संख्या–05/न0वि0(गठन)–05/2017 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतदद्वारा दरभंगा जिला के बिरौल एवं गौडा बौराम प्रखण्ड के निम्नलिखित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करने तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करने के लिए एक नया नगर परिषद, बिरौल के सृजन की घोषणा करते हैः–

1. ग्रामों के नाम एवं थाना नं0

(क)

	ग्राम का नाम	थाना सं0
(i)	1. सुपौल (वार्ड नं0–03 से 15 तक)	317
	2. परहट (वार्ड नं0–04 एवं 05)	318
	3. फकीरना (वार्ड नं0–04 एवं 05)	319
	4. डुमरी (वार्ड नं0–02 से 06 एवं 08)	262
	5. अफजला (वार्ड नं0–01 से 09)	294
	6. उछटी (वार्ड नं0–01,02,03,06,07,08)	298
	7. हाटी अंश (वार्ड नं0–11 से 14)	297
	8. पोखराम	287
	9. अजरकबे गोविन्दपुर (वार्ड नं0–01)	273
(ii)	1. दक्षिणी कसरौर करकौली अंश	261

(ख) चौहद्दी

उत्तर	कसरौड़, बेलबाड़ा अंश, कसरौड़ करकौली अंश पंचायत (गौड़ाबौराम प्रखंड) सुपौल अंश पंचायत, बिरौल प्रखंड
दक्षिण	उछटी अंश पंचायत, बिरौल प्रखंड
पूरब	बिरौल अंश पंचायत, बिरौल प्रखण्ड
पश्चिम	पोखराम उत्तरी अंश, डुमरी अंश, अफजला अंश पंचायत, बिरौल प्रखंड

इस क्षेत्र को नगर परिषद, बिरौल कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
21/8/2017
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

D:\Ranjan, 2017\Ranvi\Ranjan\Notification of Biraul.doc

संख्या–05/न0वि0(गठन)–05/2017 5493 /न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक–22/8/17

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

21/8/2017

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या–05/न0वि0(गठन)–05/2017 5493 /न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक–22/8/17

प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागध्याक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त,/सभी जिला पदाधिकारी, /महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/माननोय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एव आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/8/2017

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या–05/न0वि0(गठन)–05/2017 5493 /न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक–22/8/17

प्रतिलिपिः– सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/8/2017

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

D:\Ranjan, 2017\Ranvi\Ranjan\Notification of Biraul.doc

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

5493

संख्या–05/न0वि0(गठन)–05/2017 अधिसूचना संख्या– दिनांक– 22/8/17 /का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
21/8/2017
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar
Urban Development and Housing Department

Notification

Memo No-05/ N. VI. (Gathan)-05/2017 5494 In exercise of the powers conferred by section 3 read with section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar desires to publish the following draft order for creation of Nagar Prishad, Biraul which is hereby published for the information and to file objection/suggestion, if any, of those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft will be considered after a month from the publication of this notification.

Objections/Suggestions received through the concerned District Magistrates/Divisional Commissioner during the draft publication will be considered under section-5 of the said Act.

Draft Order

Memo No-05/ N. VI. (Gathan)-05/2017 5494/ In exercise of powers conferred by sub section (1) (b) of Secion-3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar is hereby pleased to declare the creation of a new Nagar Parishad, Biraul for making administrative provisions and to enforce the provisions of the said Act in the following areas falling in the circle of the villages Biraul and Guara Bauram Block in the District of Darbhanga whose boundaries are given below:-

1 Name of villages and Thana Nos

(a) Name of Village

	Name of Village	Thana No.
(i)	1. Supaul Ansh (Ward No-03 to 15)	317
	2. Parhatt (Ward No-04 and 05)	318
	3. Fakirna (Ward No-04 and 05)	319
	4. Dumri (Ward No-02 to 06 and 08)	262
	5. Afzala Ansh (Ward No-01 to 09)	294
	6. Uchhti Ansh (Ward No-01,02,03,06,07,08)	298
	7. Haati Ansh (Ward No-11 to 14)	297
	8. Pokhram	287
	9. Azarkabe Govindpur (Ward No-01)	273
(ii)	South Kassrour Karkauli Ansh	261

(b) Boundary:-

North- Kassrour, Belbara Ansh, Kassrour Karkauli Ansh panchayat (Gaura bauram Block)
Supaul Ansh Panchayat, Biraul Block

South- Uchhti Ansh Panchayat, Biraul Block

East- Biraul Ansh Panchayat, Biraul Block

West- Pokhram Uttari Ansh, Dumri Ansh, Afjala Ansh Panchayat, Biraul Block

This area will be called the Nagar Parishad, Biraul

2. This notification shall come to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

21/8/2017

(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary
Urban Development and Housing Department.

Memo No-05/ N. VI. (Gathan)-05/2017 5494 UD&HD Dated:- 22/8/17

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

21/8/2017

Principal Secretary
Urban Development and Housing Department.

Memo No-05/ N. VI. (Gathan)-05/2017 5494 UD&HD Dated:- 22/8/17

Copy to All Departments/Departmental Heads/all District Magistrates/ Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Darbhanga/ Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/Principal Private Secretary to the Principal Secretary, Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

21/8/2017

Principal Secretary
Urban Development and Housing Department

Memo No-05/ N. VI. (Gathan)-05/2017 5494 UD&HD Dated:- 22/8/17

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna for information and necessary action.

21/8/2017

Principal Secretary
Urban Development and Housing Department

D:\Ranjan, 2017\Ranvi\Ranjan\Notification of Biraul.doc